न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री भवानीसिंह, RAS)

राजस्व वाद संख्या 50 / 2024 अन्तर्गत धारा 88 RT Act.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मोहबताराम पुत्र इशराराम 2. टीकमाराम पुत्र इशराराम जाति कुम्हार, निवासी हेमानाडा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. तहसीलदार शिव 2. डूंगराराम पुत्र रणजीताराम 3. भगाराम पुत्र रणजीताराम जाति कुम्हार, निवासी हेमानाडा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 4. जुगताराम पुत्र समर्थाराम जाति कुम्हार, निवासी भगवानोणियों की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर 5. ज्योतिदेवी पत्नी मोहनलाल जाति सुथार, निवासी नीम्बला हाल निवासी विश्वकर्मा कॉलोनी, लक्ष्मीनगर बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता वादीगण – श्री बृजमोहन कुमावत।
2. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 से 5 – श्री ईश्वरसिंह भाटी।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 06.09.2024

संक्षेप में वादीगण के वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि मौजा हेमानाडा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 420, 453, 454 रकबा क्रमशः 3.7717, 0.1538, 21.2055 हैक्टेयर तथा मौजा नीम्बला, तहसील शिव के खसरा नम्बर 199 रकबा 1.4245 हैक्टेयर अवस्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में पक्षकारान् के हिस्से खुले हुए है। उक्त विवादित आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का बराबर हक हिस्सा निहित है। उक्त विवादित आरजी के नामांतरकरण से राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना जांच किये ही वादीगण के नाम मोबता पुत्र इसरा व टीकमा पुत्र इसरा अंकित कर दिये गये जबकि वादीगण के सही एंव वास्तविक नाम मोहबता राम पुत्र इशरा राम व टीकमा राम पुत्र इशरा राम है। वादीगण के समस्त दस्तावेजात में यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डायरी आदि में उनके सही एवं वास्तविक नाम मोहबता राम पुत्र इशरा राम व टीकमा राम पुत्र इशरा राम दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में त्रूटिपूर्ण प्रविष्टि अंकित होने से वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी में अपने सही नाम की घोषणा करवाने के अधिकारी होने एवं भूमि विकास बैंक से सहायता/ऋण प्राप्त करने एवं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में मोबता पुत्र इसरा व टीकमा पुत्र इसरा के स्थान पर मोहबता राम पुत्र इशरा राम व टीकमा राम पुत्र इशरा राम नाम घोषित करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद पंजीयन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 से 5 द्वारा जरिये अधिवक्ता ईकबाली जवाब प्रस्तुत करते हुए वादीगण के नाम मोबता पुत्र इसरा व टीकमा पुत्र इसरा के स्थान पर मोहबता राम पुत्र इशरा राम व टीकमा राम पुत्र इशरा राम नाम घोषित किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई है। प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार शिव द्वारा जवाब पेश करते हुए वादीगण के नाम दुरस्ती बाबत् उनको कोई आपत्ति नहीं होने पर सहमति प्रदान की गई है।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner

वादी संख्या 1 द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप स्वयं का बयान शपथ पत्र पेश किया गया। वादीगण द्वारा अपने वास्तविक नाम मोहबता राम पुत्र इशरा राम व टीकमा राम पुत्र इशरा राम होने के समर्थन में दस्तावेज यथा आधारकार्ड, पैन कार्ड, बैंक डायरी आदि दस्तावेज पेश किये गये।

दौरान बहस अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादीगण के नाम मोबता पुत्र इसरा व टीकमा पुत्र इसरा के स्थान पर मोहबता राम पुत्र इशरा राम व टीकमा राम पुत्र इशरा राम होना घोषित करते हुए तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा भी अपनी बहस में वादी अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए तदनुसार नाम दुरस्ती हेतु सहमति प्रदान की गई।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने पर राजस्व रेकर्ड में वादीगण के नाम मोबता व टीकमा पुत्र इसरा दर्ज है, जबकि वादीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डायरी आदि में वादीगण के नाम मोहबता राम पुत्र इशरा राम व टीकमा राम पुत्र इशरा राम दर्ज है। वादी संख्या 1 द्वारा अपने नाम की घोषणा के समर्थन में पेश बयान शपथ पत्र से भी वादीगण के नाम मोबता पुत्र इसरा व टीकमा पुत्र इसरा के स्थान पर मोहबता राम पुत्र इशरा राम व टीकमा राम पुत्र इशरा राम किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव द्वारा भी वादीगण के नाम दुरस्ती को उचित बताया गया है। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा भी उक्तानुसार नाम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादीगण के नाम मोबता पुत्र इसरा व टीकमा पुत्र इसरा के स्थान पर मोहबता राम पुत्र इशरा राम व टीकमा राम पुत्र इशरा राम दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा हेमानाडा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 420, 453, 454 रकबा क्रमशः 3.7717, 0.1538, 21.2055 हैक्टेयर तथा मौजा नीम्बला, तहसील शिव के खसरा नम्बर 199 रकबा 1.4245 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड की शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादीगण के नाम मोबता पुत्र इसरा व टीकमा पुत्र इसरा के स्थान पर मोहबता राम पुत्र इशरा राम व टीकमा राम पुत्र इशरा राम होना घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। बैंक हित. उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 06.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

~ ~

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता)
(Civil Procedure Code, Applendix 'D' -1)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री भवानीसिंह, RAS)

राजस्व वाद संख्या 50/2024 — अन्तर्गत धारा 88 RT Act.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मोहबताराम पुत्र इशराराम 2. टीकमाराम पुत्र इशराराम जाति कुम्हार, निवासी हेमानाडा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. तहसीलदार शिव 2. डूंगराराम पुत्र रणजीताराम 3. भगाराम पुत्र रणजीताराम जाति कुम्हार, निवासी हेमानाडा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 4. जुगताराम पुत्र समर्थाराम जाति कुम्हार, निवासी भगवानोणियों की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर 5. ज्योतिदेवी पत्नी मोहनलाल जाति सुथार, निवासी नीम्बला हाल निवासी विश्वकर्मा कॉलोनी, लक्ष्मीनगर बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता वादीगण – श्री बृजमोहन कुमावत।
2. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 से 5 – श्री ईश्वरसिंह भाटी।

–:: अंतिम डिक्री ::–

दिनांक : 06.09.2024

वादीगण अधिवक्ता श्री बृजमोहन कुमावत एवं प्रतिवादी अधिवक्ता श्री ईश्वरसिंह भाटी को आज दिनांक 06.09.2024 को पत्रावली सहायक कलक्टर शिव के समक्ष अन्तिम रूप से निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा हेमानाडा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 420, 453, 454 रकबा क्रमशः 3.7717, 0.1538, 21.2055 हैक्टेयर तथा मौजा नीम्बला, तहसील शिव के खसरा नम्बर 199 रकबा 1.4245 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड की शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादीगण के नाम मोबता पुत्र इसरा व टीकमा पुत्र इसरा के स्थान पर मोहबता राम पुत्र इशरा राम व टीकमा राम पुत्र इशरा राम होना घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

अंतिम डिक्री आज दिनांक 06.09.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर लगाकर जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner